(1)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

(58)

क्रमांक:एफ–18/बीमा/व्य.एवं प./2003–04/1016 To 1216 दिनांक 23.11.2015

संशोधित परिपत्र

विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांकः एफ– 18/बीमा/व्य.एवं प./ 2003–04/5 दिनांक 13.3.2009 के बिन्दु संख्या 2 में दी गई व्यवस्था कि "वे कर्मचारी जो एक स्लेब आगे प्रीमियम की कटौती करवाना चाहते हैं उनसे भी घोषणा पत्र नहीं भरवाया जावे" को राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 11(4) से असंगत होने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

उक्त नियमों के नियम 11 (2) में प्रावधान किया हुआ है कि कोई बीमाकृत व्यक्ति अपने विकल्प से नियम–11 के उप नियम (1)(i)के अधीन उन पर लागू प्रीमियम दर से अधिक की अगली दो स्टेजों अर्थात अगली एक स्टेज या अगली दो स्टेज में विनिर्दिष्ट किसी भी दर के प्रीमियम का अभिदाय कर सकेगा किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त बीमा प्रारूप सं. 1 में यह अतिरिक्त घोषणा करने के अध्यधीन होगा कि पॉलिसी धारक नियम 8 (3) में उल्लेखित किन्हीं भी रोगों से ग्रसित नहीं था ।

इसलिए "उन कर्मचारी जो एक स्लेब आगे या दो स्लेब आगे प्रीमियम की कटौती करवाना चाहते हैं उनके लिए उक्त नियमों के नियम 11(4) के अनुसार अतिरिक्त घोषणा पत्र की पूर्ति करके संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त प्रीमियम प्रारंभ किये जाने के मार्च माह के वेतन बिल के साथ संलग्न करके राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को भिजवाया जाना आवश्यक होगा"।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:एफ–18/बीमा/व्य.एवं प./2003–04/1016 To 1216 दिनांक 23.11.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा एवं पेंशन), शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ।
4. समस्त वरिष्ठ/अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय/ वित्त सलाहकार, मुख्यालय जयपुर ।
5. समस्त वरिष्ठ/अतिरिक्त निदेशक, संभाग ————————
6. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय————————
7. समस्त कोषाधिकारी जिला ————————
8. पर्यवेक्षक, व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग/मूल्यांकन अनुभाग/लेखानुभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

23/11/2015

संयुक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।